

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 534]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/3/43.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/3/4 दिनांक 25-07-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27-07-2020 द्वारा जिला गरियाबंद में विद्यमान 38 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 28 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला गरियाबंद के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/2019/3/5 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. निर्धारित समयावधि में जिला गरियाबंद की समितियों के पुनर्गठन हेतु 20 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 01-10-2020 द्वारा सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद के प्रतिवेदन दिनांक 07-10-2020 द्वारा 17 दावा/आपत्तियां अमान्य करने तथा 03 दावा/आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई हैं।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/3/4 दिनांक 25-07-2019 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद के प्रतिवेदन दिनांक 07-10-2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 12-10-2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्वारा जिला गरियाबंद में विद्यमान 38 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 29 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की कार्यवाही हेतु “जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019**

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला गरियाबंद की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तर्गत कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तर्गत कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019

अनुसूची - एक

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सासोइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसाइटी)
1	2	3	4
1	गुंडरदेही	रजकट्टी	लचकेरा

अनुसूची - दो

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है(प्रभावित सासोइटी)	नवीन सोसाइटी	नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	आमदी	दर्दीपारा	अंदोरा, कोसमी, दर्दीपारा, बोईरगांव, खरता, आमगांव नवागांव, पेण्ड्रा, सेमरा, चिपरी, रावणडिगी,
2	पाण्डुका	पोड़	नागझर, कुकदा, घटकर्मा, आसरा बोडाबांधा, पोंड़
		सांकस	सांकरा, कुम्हरमरा, गाडाघाट, मुरमुरा, फुलझर, तौरंगा, दीवना, कुरुद
3	राजिम	बेलटुकरी	बेलटुकरी, किरवाई, भैंसातरा, लफंदी, धुमा
4	बासीन	कोमा	कुम्ही, कोमा, पितईबंद, सेम्हतरा
5	रक्शा (अरण्ड)	पोखरा	परसदा, पोखरा, हथखोज, रक्शा, रावड़
6	कोपरा	देवरी	देवरी, परतेवा
		जेंजरा	जेंजरा, टेका, कपसीडीह, मुडतराई
7	सिवनी	कनसिंधी	भरवामुड़ा, जटियातौरा, पण्डरीपानी (कमार), कोटीगांव, घोटपानी, थुहापानी, कनसिंधी, बोईरभाडी, मातरबाहरा, परसापानी, केवटीझर
8	खड़मा	लोहझर	लोझर, रवेली, तिलईदादर, गिधनी, पंडरीपानी, खट्टी, खैरझिटी, ओनवा, जरगांव
		पंक्तियां	पंक्तिया, बोईरगांव, जुनवानी, कनेसर, केडीआमा
9	रानीपरतेवा	अकलवारा	अकलवारा, मुडागांव, कसेकेरा, नवापारा, भैरा
10	चरौदा (फिंगेश्वर)	सहसपुर	कसेरुडीह
11	लोहरसी		सहसपुर, धुरसा, तरीघाट
12	बारूला	पीपरछेड़ीकला	पीपरछेड़ीकला, पीपरछेड़ीभुजिया, पीपरछेड़ीखुई, केरगांव, लोहारी, कोदोपाली, दलदली, रायआमा, चिंगरमाल, मोहामाठा, देवपरसुली, धमना, दांतबायकला, दांतबायखुई गोडलबाय, डुमरबहरा, कामरभौंदी, बादीमार, तेन्दूबाय, बाघमार, हाटमोहा, कोचईमूड़ा, पीपरकन्हार, कोपेकसा
13	शोभा	कोयबा (बम्हनीझोला)	इंदागांव, अमली, जांगडा, बरगांव, तौरंगा, कोदोमाली, जुगाड, कोयबा, साहेबिनकछार नागेश, कोदोमाली, अमाड, देवझर अमली
14	काण्डेकेला	खोखमा (धुवागुडी)	मदांगमुडा, गोहरामाल, सिहारलटी, गोढ़ियारी, उसरीजोर, आंवराभाठा, फुलवारी, मुडामहान, भैसमुडी, डूमाघाट, कान्डसर, सगड़ा केन्दूपाटी, खोखमा, फरसरा, लधवापारा सरईपानी, कालीमाटी बुढगेलटप्पा

15	अमलीपदर	मुडगेलमाल	कुहीमाल, मुडगेलमाल, स्याहीडोगरी धौराझोला, छैला, चिखली, घुमरापदर, धनोरा, पीपलखुटा, सरनाबहाल, फलसापारा, कुण्डेरापानी, दाबरीगुडा, पदमपुर, मुडागांव, खरीपथरा
16	निष्ठीगुडा	झिरीपानी	झिरीपानी, केंदूवन, डुमरबहाल, खोखसरा, खम्हारमुडा, ठिरलीगुडा, सौगनभाडी, सुपेबेड़ा
17	देवभोग	रोहनागुडा	मोखामुडा, धुंगीयामुडा, कुर्मीबासा, कुमढईखुर्द, रोहनागुडा, धामनबेड़ा, करलागुडा, धुमामुडा, जामगांव, मुरलीगुडा, मुगिया
18	झाखरपारा	दीवानमुडा	पुरनापानी, कोदोबेड़ा, दीवानमुडा, माडागांव, कुम्हडईकला, अमाड, बरही, सुखलीभाठा नवीन
19	लाटापारा	गोहरापदर (देवभोग)	करचिया, गोहेकेला, टिकरापारा, खुटगांव, तुवासमाल, गोहरापदर, दरलीपारा, नांगलदेही, पीटापारा, सुकलीभाठा पुराना, धुपकोट

अनुसूची – तीन

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	गरियाबंद	नागाबुडा, नहरगांव, तावरबाहरा, झिथरीडुमर, पण्डीपानी, कोडोहरदी, भैसामुडा, कोसमबुडा, परसुलीखुर्द, हाथबाय, चिखली (ग), भैसतरा, गुजरा, गरभनतौरा	—	नागाबुडा
		मरौदा, पारागांव, बम्हनी, काजनसरा, कुचेना, बेन्दकुरा, बुटेंगा, जडजडा, पेण्ड्रा, छिन्दौला, सढौली, खट्टी	—	मरौदा
		भेजराडीह	—	सोहागपुर
2	परसुली	सोहागपुर, कस, गंजईपुरी, हरदी, कासरबाय, घुटकुनवापारा, बहेराबुडा, कोदोबत्तर, बारुका, टोइयामुडा, विजयनगर, चितईकोना, गांहदर, कोचवाय	—	
		कौंदकेरा, राकादादर, भुजियामुडा	बारुला	—
3	बेलर	सिरी	चरौदा (फिंगेश्वर)	—
		परसदा कला, गनियारी, खुडसा, पतौरा, पतौरी, घोघरा।	—	परसदाकला
4	उरमाल	कदलीमुडा, डोंगरीगुडा, माहुलकोट	ढोरा	—
		धौराकोट, कुसकोना, गाड़ाघाट, लदरा, सितलीजोर, फलसापारा, मगररोड़ा, भतराबहाली	—	धौराकोट

		गोहरापदर, छैलड़ोगरी, केकराजोर, खुडबुडी, चलनापदर, गुडभेली	—	
5	काण्डेकेला	धरनीधोडा,	—	गोहरापदर (मैनपुर)
6	ढोरा	बुरजाबहाल, तेतलखुटी, झरगांव, साल्हेभाटा, गुरजीभाटा, बजाडी, चिचिया, डुमरपीटा, बरबहाली, नवागांव, बनवापारा	—	तेतलखुटी
7	दुल्ला	घोघरा	चरौदा (छुरा)	—
		कोसमी, बम्हनी, चुरकीदादर, नवाडीह, जलकीपानी, पथरी, तिलईदादर, नवापारा	—	कोसमी